



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-51

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 246244 दिनांक 03/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Devendra Singh Rajawat S/o BHANWAR SINGH RAJAWAT एवं Jaideep Singh Rajawat BHANWAR SINGH RAJAWAT	श्री भंवर सिंह राजावत पुत्र श्री रावत सिंह राजावत .	919	254.52 SQ. YARD	Cooperative	DEVI NAGAR Sector/Block-	Name Transfer	श्री भंवर सिंह राजावत का दिनांक 02.01.2008 को मृत्यु बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र, श्री भंवर सिंह राजावत के अन्य वारिसान् श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह राजावत, श्रीमती राजलक्ष्मी राठौड़ व श्रीमती किरण कंवर पुत्रियान् स्व. श्री भंवर सिंह राजावत द्वारा उक्त भूखण्ड में से अपने अविभाजित 3/5 हिस्से बाबत दिनांक 18.05.2018 को श्री देवेन्द्र सिंह राजावत एवं श्री जयदीप सिंह राजावत पुत्रान् स्व. श्री भंवर सिंह राजावत के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड त्याग पत्र एवं वाद-विवाद के सम्बन्ध में शपथ पत्र अपलोड किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Devendra Singh Rajawat S/o BHANWAR SINGH RAJAWAT एवं Jaideep Singh Rajawat BHANWAR SINGH RAJAWAT को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।